Law (A) Department

NOTIFICATION

Jaipur, October 1, 1964

No. F.3(3)-L/64 :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), read with clauses (a), (b), (f) and (g) of sub-section (2) thereof, and in supersession of the Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances Rules, 1958, the State Government hereby makes the following rules, namely :—

The Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances Rules, 1964

****1. Short title and commencement.—***(1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members Travelling and Daily Allowances Rules, 1964.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act'' means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957);

(b) "Assembly" means the Rajasthan Legislative Assembly;

(c) "Chief Public Office" means,—

(1)	at the headquarters of a District,	the Office of the Collector.
(2)	at the headquarters of a Tehsil,	the Office of the Tehsildar, and

*Sub by. Notification : F7(18) Sansad/1998 dated 8 May, 2006

विधि (क) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 1, 1994

संख्या एफ.3(3) एल./ए./64 :-राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एक्ट, 1956) (राजस्थान एक्ट 6, सन् 1957) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ए), (बी), (एफ) और (जी) के साथ पठित एक्ट की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता नियम, 1958 का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता नियम, 1964

***1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :**-(1) ये नियम राजस्थान विधान सभा सदस्य यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता नियम, 1964 कहलायेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''एक्ट'' से तात्पर्य राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) एक्ट, 1956 (राजस्थान एक्ट संख्या 6, 1957) से है;

(ख) ''विधान सभा'' से तात्पर्य राजस्थान विधान सभा से है;

(ग) ''मुख्य सार्वजनिक कार्यालय'' से तात्पर्य है :-

(1) किसी जिले के प्रधानास्पद (हैडक्वार्टर्स) पर, कलक्टर का कार्यालय,

(2) किसी तहसील के प्रधानास्पद पर, तहसीलदार का कार्यालय तथा,

---

*अधिसूचना प.7(18) संसद/1998, दिनांक 8 मई, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) at other places, — the Police Station or if there be no Police Station, the Post Office or if there be no Post Office, the point so declared for the purpose of these rules by the Speaker.

(d) "Committee" means a Select Committee appointed by the House of the Assembly or a Committee nominated by the Speaker of the Assembly or elected by the House of the Assembly in accordance with the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajasthan Legislative Assembly made by the House of the Assembly in pursuance of the provision contained in clause (1) of Article 208 of the Constitution of India and includes a sub-committee thereof;

(e) "Day" means a calendar day beginning and ending at midnight;

(f) "Speaker" means the Speaker of the Assembly;

(g) "Meeting" means the sitting of the House of the Assembly in its session or the meeting of the committee thereof;

(h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules; and

(i) "Session" means the whole period of a session of the Assembly summoned by the Governor to meet in pursuance of clause (1) of Article 174 of the Constitution of India commencing on the date of its first sitting and expiring on the date of its prorogation by the Governor under clause (2) of the said Article or its adjournment sine die by the Speaker, whichever is earlier.

(3) अन्य स्थानों पर, पुलिस स्टेशन, या यदि पुलिस स्टेशन न हो तो डाक घर (Post Office) या यदि डाक घर न हो तो ऐसा स्थान (Point) जो अध्यक्ष द्वारा, इन नियमों के प्रयोजनार्थ ऐसा घोषित किया जाये;

(घ) ''समिति'' से तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 208 के खण्ड (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में विधान सभा के सदन द्वारा बनाये गये, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार विधान सभा के सदन द्वारा नियुक्त प्रवर समिति या विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित या विधान सभा के सदन द्वारा निर्वाचित समिति अभिप्रेत है और इसमें उसकी उप समिति सम्मिलित है;

(ङ) ''दिन'' से तात्पर्य अर्धरात्रि को आरम्भ और समाप्त होने वाले कलैण्डर दिन से है;

(च) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य विधान सभा के अध्यक्ष से है;

(छ) ''अधिवेशन'' से तात्पर्य विधान सभा के सदन के सत्र में उसकी बैठकें या उसकी किसी समिति का कोई अधिवेशन अभिप्रेत है;

(ज) ''अनुसूची'' से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; तथा

(झ) ''सत्र'' से तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के अनुसरण में राज्यपाल द्वारा अधिवेशन के लिये आहूत विधान सभा के सत्र की, उसकी प्रथम बैठक की तारीख को प्रारम्भ होने वाली और उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा उसके सत्रावसान या अध्यक्ष द्वारा अनिश्चितकाल के लिये उसके स्थगन, जो भी पहले हो, की तारीख को समाप्त होने वाली सम्पूर्ण कालावधि अभिप्रेत है।

***3. Travelling allowance and daily allowance for attending meetings or other business.*—**A member, who attends a meeting or who under the orders of the Speaker attends to any other business connected with his duties as such member, may draw daily allowance at the rates specified in the Act and travelling allowance at the rates specified in the Schedule subject to the conditions and restrictions prescribed in these rules and the Schedule.

***3 A. Travelling Allowance Advance on Government Tour.*—**

(1) A member proceeding on tour outside the State on official duty may be sanctioned in advance, on presentation of a T.A. bill, an amount sufficient to cover for contingent expenses including bus/rail fare.

(2) Second advance cannot be made to a member under this rule unless an account had been given of the first advance.

(3) The recovery of advance remaining unadjusted for over one year may be made, after giving an opportunity to the Member to explain the reasons of such unadjustment, from his next salary bill or by any other way as deemed fit by the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.

4. Travelling Allowance for attending meetings, etc.—(1) A member who proceeds to attend a session or a meeting of Comittee or to visit a place where any other business connected with his duties as such member is to be transacted for the purpose of attending to such other business under the orders of Speaker, from a place other than his usual place of residence or returns there to on or before termination thereof, may draw travelling allowance admissible to him either from or to the place from which he proceeded or his usual place of residence, whichever is less.

3. अधिवेशन में हाजिर होने अथवा अन्य कार्य करने के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता :-कोई सदस्य जो बैठक में उपस्थित हो, अथवा अध्यक्ष के आदेशानुसार सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य करे, इन नियमों तथा अनुसूची में विहित शर्तों तथा निर्बन्धों के अध्यधीन, अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर दैनिक भत्ता और अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर यात्रा भत्ता उठा सकेगा।

3. क-सरकारी दौरे पर यात्रा भत्ता अग्रिम :-

(1) शासकीय कार्य से राज्य से बाहर दौरे पर जाने वाले सदस्य को यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत करने पर, इतनी राशि जो बस/रेल किराये को सम्मिलित करते हुए सम्भावित व्ययों की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हो, अग्रिम में स्वीकृत की जा सकेगी।

(2) किसी सदस्य को इस नियम के अधीन दूसरी बार अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने पहले वाले अग्रिम का हिसाब नहीं दे दिया हो।

(3) एक वर्ष से अधिक की अवधि तक असमायोजित रहे अग्रिम की वसूली, ऐसे असमायोजन के कारण को स्पष्ट करने के लिये ऐसे सदस्य को अवसर देने के पश्चात् उसके आगामी वेतन बिल या किसी अन्य प्रकार से, जैसा कि विधान सभा के सचिव, द्वारा उचित समझा जाये की जा सकेगी।

4. अधिवेशनों आदि में हाजिर होने के लिये यात्रा भत्ता :-(1) कोई सदस्य जो अपने सामान्य निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से किसी सत्र या समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिये जावे अथवा सदस्य की हैसियत से उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष के आदेशानुसार उस स्थान पर पहुंचे जहां कि उक्त अन्य कार्य किया जाने को है, अथवा उससे पर्यवसान पर अथवा उसके पूर्व वहां लौट कर आवे, उसके रवाना होने के स्थान या उसके सामान्य निवास स्थान से या तक उसके मिलने योग्य यात्रा भत्ता जो कम हो उठा सकेगा।

Explanation.— (1) When the usual place of residence of the member lies outside the State of Rajasthan, any other place within the State nearest to the usual place of residence that may be named by the member shall, for the purpose of these rules, be deemed to be his usual place of residence.

(2) Except as otherwise provided in rules 6 and 7, a member may draw travelling allowance only for the journey undertaken by him when first proceeding from his usual place of residence to attend a session or a meeting of a Committee or to visit a place under the orders of the Speaker for the purpose of attending to any other business connected with his duties as a member and for his return journey thereto before or after the close of such session or meeting of the Committee or such business.

(3) Notwithstanding that a member has not taken his seat in the House of the Assembly to which he is elected, he shall, subject to the provisions contained in the first proviso to sub-section (1) of Section 8 of the Act, be entitled to receive travelling allowance for the journey performed by him for the purpose of taking his seat in the House.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, if a meeting of a Committee is called when the Assembly is in session, a member shall not be entitled to draw travelling allowance for a journey undertaken by him for the purpose of attending such meeting if he has already drawn travelling allowance for the journey performed by him for attending the session of a Assembly.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-rules, a member shall not be entitled to travelling allowance for a journey undertaken to attend the meeting—

(a) if his usual place of residence is within a radius of five miles of Jaipur or other place fixed by Government for such meeting, or

(b) unless, in the case of meeting of the Committee, he attends such meeting for at least half the period of its duration on one day.

स्पष्टीकरण :- (1) जब किसी सदस्य का सामान्य निवास स्थान राजस्थान राज्य के बाहर स्थित हो, राज्य में उक्त सामान्य निवास-स्थान से निकटतम स्थित कोई अन्य स्थान जो सदस्य द्वारा बतलाया जा सकेगा, इन नियमों के प्रयोजनार्थ, उसका सामान्य निकास स्थान समझा जायेगा।

(2) नियम 6 और 7 में अन्यथा प्रावहित को छोड़कर, कोई सदस्य, केवल उस यात्रा के लिए जो वह किसी सत्र में या किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अथवा सदस्य की हैसियत से उसके कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष के आदेशानुसार किसी स्थान पर पहुंचने के लिए करे तथा उक्त सत्र अथवा समिति की बैठक अथवा उक्त कार्य की समाप्ति के पूर्व या तत्पश्चात् उसकी वापसी यात्रा के लिये, यात्रा भत्ता उठा सकेगा।

(3) इस बात के होते हुए भी कि एक सदस्य ने विधान सभा के सदन जिसके लिये वह निर्वाचित हुआ है, में स्थान ग्रहण नहीं किया है, वह अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सदन में स्थान ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा की गई यात्रा के लिये यात्रा-भत्ता पाने का हकदार होगा।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी समिति की बैठक विधान सभा का सत्र चालू होने के समय बुलाई जाये, तो सदस्य ऐसी बैठक में उपस्थित होने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा की गई यात्रा के लिये यात्रा-भत्ता उठाने का हकदार नहीं होगा यदि उसने विधान सभा के सत्र में उपस्थित होने हेतु उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ता पहले से ही उठा लिया हो।

(5) पूर्वगामी उप-नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा :-

(क) यदि उसका निवास स्थान जयपुर से या ऐसी बैठक के लिये सरकार द्वारा नियत अन्य स्थान के पांच मील के अर्धव्यास (Redius) के भीतर स्थित हो, या

(ख) जब तक कि वह, समिति की किसी बैठक की दशा में, ऐसी बैठक में किसी एक दिन उसकी कालावधि से कम से कम आधे समय के लिये उपस्थित न रहे।

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-rules, a member shall not be entitled to any travelling allowance for a journey undertaken to visit a place for the purpose of attending under the orders of the Speaker to any other business connected with his duties as a member, if his usual place of residence is within a radius of five miles of such place.

5. Daily allowance for attending session of Assembly.—(1) A member attending a session of the Assembly may draw daily allowance at the rate specified in the Act for each day of the duration of that session and a period not exceeding two days immediately preceding the commencement of the session and not exceeding one day immediately succeeding the end of the session :

Provided that no claim for daily allowance shall be made for any such day unless the member has resided in that place where the session is held for at least eight hours on that day :

Provided further that a member, excepting when he is unable to attend the session of the Assembly owing to his illness, shall not be entitled to draw daily allowance for such day on which the meeting of the Assembly was held but which he did not attend :

Provided also that where a member claims daily allowance for any day on which he did not attend the meeting of the Assembly on the ground that he was unable to attend the same owing to his illness, he shall be entitled to draw such allowance only if he makes an application to that effect addressed to the Secretary of the Assembly certifying under his signatures that he could not attend the meeting of the Assembly on that day owing to his illness and where he did not attend the meeting of the Assembly on the said ground for more than three days and claims daily allowance for these days, he shall be entitled to draw such allowance only if he has produced a medical certificate about his illness issued by an Authorised Medical Attendant.

(6) पूर्वगामी उप नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य, सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य अध्यक्ष के आदेशानुसार करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर पहुंचने हेतु की गई यात्रा के लिये किसी यात्रा भत्ता का, हकदार नहीं होगा, यदि उसका सामान्य निवास स्थान उक्त स्थान से पांच मील के अर्धव्यास के भीतर स्थित है।

5. विधान सभा के सत्र में हाजिर होने के लिए दैनिक भत्ता :-(1) विधान सभा के सत्र में उपस्थित रहने वाला कोई सदस्य उस सत्र की कालावधि के प्रत्येक दिन के लिये और ऐसी अवधि के लिये जो सत्र के प्रारम्भ के ठीक पहले दो दिन से अधिक न हो और सत्र की समाप्ति के ठीक बाद में एक दिन से अधिक न हो, एक्ट में उल्लिखित दर से दैनिक भत्ता उठा सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी दिन के लिये दैनिक भत्ते का दावा तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि सदस्य उस स्थान में जहां सत्र होता हो, उस दिन कम से कम आठ घंटे न रहा हो :

परन्तु यह और कि कोई सदस्य सिवाय तब के जब वह अपनी बीमारी के कारण विधान सभा के अधिवेशन में हाजिर होने में असमर्थ रहा हो, किसी ऐसे दिन के लिये दैनिक भत्ता उठाने का हकदार नहीं होगा जिस दिन विधान सभा का अधिवेशन तो हुआ था किन्तु वह उसमें हाजिर नहीं हुआ :

परन्तु यह भी कि जहां कोई सदस्य किसी ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ते का दावा करता है, जिस दिन वह विधान सभा के सत्र में इस आधार पर हाजिर नहीं हुआ कि वह अपनी बीमारी के कारण उसमें हाजिर होने में असमर्थ था, वहां वह ऐसा भत्ता उठाने का हकदार तभी होगा जब वह अपने हस्ताक्षरों से यह प्रमाणित करते हुए कि वह अपनी बीमारी के कारण उस दिन विधान सभा के अधिवेशन में हाजिर नहीं हो सका था, विधान सभा के सचिव को सम्बोधित इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करे और जहां वह उक्त आधार पर विधान सभा के अधिवेशन में तीन दिन से अधिक दिनों तक हाजिर नहीं हुआ हो और उन दिनों के दैनिक भत्ते का दावा करे वहां वह ऐसा भत्ता उठाने का हकदार तभी होगा जब वह प्राधिकृत चिकित्सा परिचायक द्वारा जारी किया गया अपनी बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे।

***Explanation.*—**For the purpose of third proviso to this sub-rule and sub-rule (4) of rule 13, the expression "Authorised Medical Attendant" shall have the same meaning as assigned to this expression in Sub-rule (1) of rule 3 of the Rajasthan Civil Services (Medical Attendance) Rules, [#]2008 as amended from time to time; and

(2) A member attending a meeting of a Committee shall be entitled to daily allowance for the day or days of such meeting and intervening holidays and Saturdays, if any, as well as for one day immediately preceding the commencement of the meeting and one day immediately succeeding the end of the meeting and the provision to sub-rule (1) shall apply.

(3) A member visiting a place for the purpose of attending under the orders of the Speaker to any other business conected with his duties as a member shall be entitled to daily allowance for the day or days for his stay at that place for the said purposes :

Provided that no claim for daily allowance shall be made for any such day unless the member has resided in the place of his visit for atleast eight hours for that day.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, in the event of an adjournment during a session lasting for seven days or more, if a member leaves the place of meeting, he shall be entitled to travelling allowance in accordance with rule 3 and if he resides at the place of meeting, he shall be entitled to daily allowance for all the days of his residence at the place of meeting, not exceeding six days.

***6. Daily allowance during intervals.*—**(1) Where the interval between the termination of meeting of a Committee and commencement of a session or between the termination of a session and the commencement of a meeting of a committee at the same place does not exceed five days and the member concerned elects to remain at such place during such interval, he shall be entitled to draw for each day of his residence at such place, daily allowance at the rate specified in the Act :

Sub-notification F7(18)Sansad/98 dated Feb 18, 2010 w.e.f. 23 September, 2008

स्पष्टीकरण :-इस उप नियम के तृतीय परन्तुक और नियम 13 के उप-नियम (4) के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति ''प्राधिकृत चिकित्सा परिचालक'' का वही अर्थ होगा जो इस अभिव्यक्ति को, समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, #2008 के नियम 3 के उप-नियम (1) में समनुदेशित है; और

(2) किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने वाला कोई सदस्य ऐसी बैठक के दिन या दिनों और बीच में पड़ने वाली छुट्टियों और शनिवारों यदि कोई हों, और साथ ही बैठक के प्रारम्भ के ठीक पहले एक दिन और बैठक समाप्ति के ठीक बाद में एक दिन के लिये दैनिक भत्ता उठाने का हकदार होगा तथा उप-नियम (1) के परन्तुक लागू होंगे।

(3) एक सदस्य जो सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य अध्यक्ष के आदेशानुसार करने के लिए किसी स्थान पर पहुंच जाये तो वह उक्त प्रयोजनार्थ उस स्थान पर ठहरने के एक या अधिक दिनों के लिये दैनिक भत्ते का हकदार होगा :

परन्तु ऐसे किसी दिन के लिए दैनिक भत्ते का दावा तब तक नहीं किया जायगा जब तक सदस्य उसके पहुंचने के स्थान पर कम से कम आठ घंटे न रहा हो।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, सत्र के दौरान में सात या अधिक दिनों तक रहने वाले स्थगन की दशा में, यदि कोई सदस्य बैठक का स्थान छोड़े तो वह नियम 3 के अनुसार यात्रा भत्ते का हकदार होगा, तथा यदि वह बैठक के स्थान में ही निवास करे तो वह बैठक के स्थान में इसके निवास के सभी दिनों के लिए, जो छह दिन से अधिक नहीं होंगे, दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

6. अन्तरालों के दौरान दैनिक भत्ता :- (1) जहां एक ही स्थान पर समिति की बैठक की समाप्ति और सत्र के आरम्भ के बीच में अथवा सत्र की समाप्ति और समिति की बैठक के आरम्भ के बीच का अन्तराल पांच दिन से अधिक न हो तथा सम्बन्धित सदस्य उक्त अन्तराल में उस स्थान पर रहना तय करे, तो वह उक्त स्थान पर उसके निवास के प्रत्येक दिन के लिये एक्ट में उल्लिखित दर पर दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा।

#अधिसूचना क्रमांक प.7(18)संसद/98 दिनांक 18/2/2010 द्वारा प्रतिस्थापित w.e.f. 23 सितम्बर, 2008

Provided that if the member leaves such place during or before the interval, he shall be entitled to travelling allowance, the amount of which will not exceed the total amount of daily allowance which would have been admissible to such member under rule 5 for the days of absence if he had not so remained absent.

(2) When the interval between the termination of a meeting of a Committee and commencement of another meeting of the same Committee or of another Committee at the same place, both of which such member is required to attend, does not exceed three days and member concerned elected to remain at such place during such interval, he shall be entitled to draw for each day of his residence at such place daily allowance at the rates specified in the Act :

Provided that if the member leaves such place during or before such interval, he shall be entitled to draw the travelling allowance, the amount of which will not exceed total amount of daily allowances, which would have been admissible to such member under rule 5 for the days of absence if he had not remained absent.

(3) When there is an interval of—

(i) more than five days between a meeting of the Assembly and a meeting of the Committee under sub-rule (1), or

(ii) more than three days between a meeting of a Committee or another meeting of the same Committee or a meeting of another Committee under sub-rule (2), and if the member leaves his place of meeting, he shall be entitled to claim travelling allowance in accordance with rule 3 and if he resides at the place of meeting, he shall be entitled to daily allowance not exceeding the travelling allowance to which he would have been entitled if he had returned during the interval to his usual place of residence and performed other journey to the place where the next meeting is held.

परन्तु यदि उक्त सदस्य अन्तराल के दौरान या पहले उक्त स्थान को छोड़े तो वह ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार होगा जिसकी कि राशि दैनिक भत्ते की उस कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो कि नियम 5 के अन्तर्गत उक्त सदस्य की अनुपस्थित के दिनों के लिए अनुमत्त होती यदि वह इस प्रकार अनुपस्थित नहीं रहा होता।

(2) जब किसी समिति की एक बैठक की समाप्ति और उसी समिति की अथवा उसी स्थान पर किसी दूसरी समिति की, दूसरी बैठक जिन दोनों में ही उस सदस्य को उपस्थित होना अपेक्षित है, के बीच अन्तराल तीन दिन से अधिक नहीं है, और सम्बन्धित सदस्य ऐसे अन्तराल में उक्त स्थान पर रहना निर्धारित करता है तो वह उक्त स्थान पर उसके निवास के प्रत्येक दिन के लिए अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा :

परन्तु शर्त यह है कि यदि सदस्य ऐसे अन्तराल के दौरान में या पहले उस स्थान को छोड़ देता है तो वह ऐसे यात्रा भत्ते का हकदार होगा जिसकी कि राशि दैनिक भत्ते की उस कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो कि नियम 5 के अन्तर्गत उक्त सदस्य की अनुपस्थिति के लिये स्वीकार्य होती यदि वह अनुपस्थित नहीं रहता।

(3) जब :-

(i) उप-धारा (1) के अन्तर्गत विधान सभा की बैठक और समिति की बैठक के बीच पांच दिन का अन्तराल है, अथवा

(ii) उप-धारा (2) के अन्तर्गत किसी समिति की एक बैठक की समाप्ति और उसी उसी समिति की, अथवा उसी स्थान पर दूसरी समिति की, दूसरी बैठक के बीच अन्तराल तीन दिन से अधिक है, और यदि सदस्य अपनी बैठक का स्थान छोड़ देता है तो वह नियम 3 के अनुसार यात्रा भत्ता मांगने का हकदार होगा, और यदि वह बैठक के स्थान पर ही निवास करता है तो वह ऐसे दैनिक भत्ते का हकदार होगा जो उस यात्रा भत्ते से अधिक नहीं होगा जिसके लिये वह हकदार होता यदि वह अन्तराल के दौरान उसके सामान्य निवास स्थान को लौट जाता और उस स्थान को दूसरी यात्रा करता जहां कि दूसरी बैठक की गई है।

(4) Where within a period of five days the session is held at one place and the meeting of a Committee is held at some other place, the travelling allowance admissible to a member attending the session and a meeting of the Committee shall be restricted to the travelling and daily allowance admissible for a direct journey from the place of meeting of a Committee or session to the second place of meeting of a Committee or session or *vice versa.*

(5) When within a period of five days, the meeting of a Committee held at one place and another meeting of the same Committee or a meeting of another Committee is held at another place, both of which such member is required to attend, the travelling allowance admissible to a member attending the first meeting at one place and the meeting at other place shall be restricted to the travelling and daily allowance admissible for a direct journey from the place of first meeting of the Committee to the second place of meeting and *vice versa.*

7. Admissibility of travelling allowance during a session or meetings.—(1) Where a member absents himself for less than seven days during a session or a meeting of the Committee for visiting any place within the State of Rajasthan, he shall, in cases where the duration of the meeting of the Committee is more than ten days, be entitled to receive travelling allowance in respect of such journey to such place and for the return journey at the rates specified in the Schedule :

Provided that the facility as aforesaid shall be allowed only once in a month :

Provided further that such travelling allowance shall not exceed the total amount of daily allowance which would have been admissible to such member under rule 5 for the days of absence if he had not remained so absent.

(2) Subject to the provisions contained in rule 5, where a member absents himself for a period of seven days or more during the meeting of the Assembly or the meeting of a Committee thereof for visiting any place in Rajasthan, no travelling and daily allowance shall be admissible to him.

(4) जबकि पांच दिन की अवधि में सत्र एक स्थान में किया जाता है और किसी समिति की बैठक किसी दूसरे स्थान पर की जाती है, तो सत्र और समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य को अनुमत्त यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते तक ही सीमित रहेगा जो एक समिति की बैठक या सत्र के एक स्थान से समिति की दूसरी बैठक या सत्र के स्थान तक अथवा विलोमत:, सीधी यात्रा के लिये अनुमत्त होता।

(5) जबकि पांच दिन की अवधि के भीतर किसी समिति की बैठक एक स्थान पर हुई हो तथा उसी समिति की दूसरी बैठक या अन्य समिति की कोई बैठक दूसरे स्थान पर हुई हो और दोनों ही बैठकों में उस सदस्य की उपस्थिति अपेक्षित हो तो एक स्थान पर होने वाली प्रथम बैठक तथा दूसरे स्थान पर होने वाली अन्य बैठक में उपस्थित होने वाले किसी सदस्य को वही यात्रा भत्ता मिलेगा जो कि उसको समिति की प्रथम बैठक के स्थान से बैठक के दूसरे स्थान तक तथा बैठक के दूसरे स्थान से समिति की प्रथम बैठक के स्थान तक सीधी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता मिलता हो।

7. सत्र अथवा अधिवेशनों के दौरान यात्रा भत्ता की अनुज्ञेयता :- (1) जबकि कोई सदस्य राजस्थान राज्य के भीतर किसी स्थान पर जाने के लिये, किसी सत्र या समिति की किसी बैठक के दौरान सात दिन से कम के लिये अनुपस्थित रहे तो वह उन मामलों में जहां समिति के अधिवेशन की अवधि दस दिन से अधिक हो उक्त स्थान को की गई ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में तथा यात्रा के लिये अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा :

परन्तु यथा पूर्वोक्त सुविधा महीने में केवल एक बार ही अनुज्ञात होगी,

किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार का यात्रा भत्ता दैनिक उस कुल राशि से अधिक नहीं होगा जो कि उक्त सदस्य को यदि वह इस प्रकार अनुपस्थित नहीं रहता तो अनुपस्थिति के दिनों के लिये नियम 5 के अधीन मिलती।

(2) जहां कोई सदस्य राजस्थान में किसी स्थान का दौरा करने के लिये विधान सभा के किसी अधिवेशन या उसकी किसी समिति के अधिवेशन के दौरान सात दिन या उससे अधिक की कालावधि के लिये अनुपस्थित रहे वहां उसे नियम 5 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कोई यात्रा तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा।

8. Journey to be performed by the shortest route.—(1) For the purpose of calculating travelling allowance, a journey between two stations is held to be performed by the shortest of two or more practicable routes or by the cheapest of such routes as may be equally short.

*(2) The shortest route is that by which the travelling member can most speedily reach his destination by rail or motorcar, whichever mode he adopts.

*(3) Travelling allowance shall be calculated on the basis of rates specified in the schedule for travel by rail or by motorcar, as the case may be.

(4) A member who is allowed free transit by rail shall be entitled to draw only one half of the first class fare for the journey.

(5) A member who avails the facility of free transit by road provided under section 8A of the Act shall not be entitled to draw the fare for such journey but shall be entitled to claim incidental charges.

(6) A member who performs a journey by air may draw only the travelling allowance admissible to him if the journey where performed by rail or by road.

(7) The points in any station from which a journey is held to commence and at which it is held to end, are the chief public offices in such station and the place where the business of the meeting may be transacted, respectively.

---

*Sub by. Notification : F7 (18) Sansad/1998 dated May 8, 2006

8. यात्रा का लघुत्तम मार्ग द्वारा किया जाना :-(1) यात्रा भत्ता की प्रतिगणना करने के प्रयोजनार्थ दो स्थानों (स्टेशन्स) के बीच यात्रा दो या अधिक व्यवहार्य मार्गों में से लघुत्तम मार्ग द्वारा या समान लघु मार्गों में से सबसे सस्ते मार्ग द्वारा की गई मानी जाती है।

*(2) लघुत्तम मार्ग वह है जिससे यात्रा करने वाला सदस्य रेल या मोटर कार जो भी साधन वह अंगीकृत करें, से अपने गम्य स्थान को अत्यन्त तीव्र गति से पहुंच सकता है।

*(3) यात्रा भत्ता रेल या यथास्थिति मोटर कार द्वारा यात्रा के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के आधार पर संगणित किया जायेगा।

(4) कोई सदस्य, जिसे रेल द्वारा नि:शुल्क यात्रा (ट्रांजिट) की अनुमति हो, यात्रा के लिये केवल प्रथम श्रेणी का आधा किराया उठाने का हकदार होगा।

(5) जो सदस्य अधिनियम की धारा 8-क के अन्तर्गत प्रवाहित सड़क द्वारा नि:शुल्क यात्रा (ट्रांजिट) की सुविधा का लाभ उठावे, वह उक्त यात्रा के लिये किराया उठाने का हकदार नहीं होगा किन्तु वह आनुषंगिक व्यय पाने का हकदार होगा।

(6) कोई सदस्य, जो वायुयान से यात्रा करे, केवल वही यात्रा भत्ता उठा सकेगा जो उसे यदि वह यात्रा रेल या सड़क द्वारा की गई होती, मिलने योग्य होता।

(7) किसी स्टेशन में वह स्थान जहां से कोई यात्रा प्रारम्भ हुई मानी जाये और जहां वह समाप्त हुई मानी जाय, क्रमश: ऐसे स्टेशन में स्थित मुख्य सार्वजनिक कार्यालय और वह स्थान, जहां बैठक के कार्य का सम्पादन किया जाये, होंगे।

---

*अधिसूचना प.7(18) संसद/1996, 8 मई, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित

(8) Where a member is provided with free board and lodging at the expense of the Government of India or Government of Rajasthan or any other State Government or a Local Fund or authority, he shall be entitled to receive only one-fourth of the daily allowance admissible to him under these rules. If only board or lodging is allowed free to a member, he shall be entitled to receive three-fourth of the daily allowance admissible to him under these rules.

9. Admissibility of travelling allowance and daily allowance on postponement or adjournment of the session or meeting.—All cases regarding admissibility of a travelling allowance to a member, who arrives at the place where a session or a meeting of a Committee is held, without knowledge of the postponement of session or the meeting of the Committee, including cases of such members as arrive after the session or meeting of a Committee is adjourned suddenly shall be determined by the Speaker having regard to the circumstances of each case.

10. Deduction of outstanding dues from salary or travelling allowance and daily allowance Bill.—(1) (a) Whenever any Government or semi-Government dues such as house rent, water charges, electric charges, furniture rent, telephone charges etc., are reported by the authority concerned to be outstanding against a member, the amount equivalent to such dues shall be deducted from the next salary or travelling and daily allowances bills of such member.

(b) When a deduction of any outstanding dues mentioned in clause (a) is required to be made from the salary bill of a member, the authority concerned shall intimate the amount of such dues to the Treasury Officer from whose treasury the member draws his salary, and on receipt of such intimation, the Treasury Officer concerned shall deduct the amount of the dues from the salary bill or bills of the member concerned.

(8) जब किसी सदस्य के लिये भारत सरकार या राजस्थान सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय निधि या सत्ता के व्यय पर नि:शुल्क भोजन तथा रहने की व्यवस्था की गई हो तो वह, इन नियमों के अन्तर्गत उसको मिलने वाले दैनिक भत्ते का केवल एक चौथाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा यदि किसी सदस्य को केवल भोजन या रहने की सुविधा दी गई हो तो इन नियमों के अन्तर्गत उसको मिलने वाले दैनिक भत्ते का केवल तीन चौथाई पाने का हकदार होगा।

9. सत्र या अधिवेशन के मुलतवी या स्थगित होने पर यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की अनुज्ञेयता :-यात्रा-भत्ता सम्बन्धी ऐसे समस्त मामले जिसमें कोई सदस्य सत्र या समिति की बैठक के स्थगन के बारे में जानकारी न होने के कारण उस स्थान पर, जहां सत्र या किसी समिति की बैठक बुलाई गई हो, पहुंच जाये, जिनमें उन सदस्यों के मामले भी सम्मिलित होंगे जो उस सत्र या समिति की बैठक का आकस्मिक स्थगन हो जाने के पश्चात् इस बात की जानकारी के अभाव में पहुंच जाते हैं, अध्यक्ष द्वारा, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये, तय किये जायेंगे।

10. वेतन अथवा यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के बिलों में से बकाया रकम का काटा जाना :-(1) (क) जब कभी किसी सदस्य के प्रति कोई सरकारी या अर्द्ध सरकारी बकाया, जैसे मकान किराया, जल व्यय, विद्युत व्यय, फर्नीचर किराया, टेलीफोन-व्यय इत्यादि के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई हो तो ऐसी बकाया राशि के बराबर की राशि उस सदस्य के आगामी वेतन या यात्रा तथा दैनिक भत्ते के बिल में से काट ली जायगी।

(ख) जब किसी सदस्य के वेतन बिल में से खण्ड (क) में उल्लिखित किसी बकाया राशि की कटौती किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित प्राधिकारी ऐसी बकाया राशि की सूचना उस कोषागार अधिकारी को देगा जिसके कोषागार से सदस्य अपना वेतन उठाता है और उक्त सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित कोषागार अधिकारी सम्बन्धित सदस्य के वेतन बिल या बिलों में से बकाया राशियों की रकम काट लेगा।

(c) When a deduction of any outstanding dues mentioned in clause (a) is required to be made from the travelling and daily allowances bills of a member, the authority concerned shall intimate the amount of such dues to the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, who shall on receipt of such intimation, deduct the amount of the dues from the travelling and daily allowance bills of the member concerned.

(2) Ordinarily, any non-governmental dues outstanding against a member shall not be recovered from his salaries or allowances, but where such dues are on account of certain services rendered to him in the course of his duties as a member, such as, when he is on tour with a Committee of the Assembly, and the arrangements for such services have been made by or at the instance of private parties at the request of the officer of the Assembly Secretariat and where such member inspite of repeated requests had failed to make payment of such dues, recovery thereof may be effected by the Assembly Secretariat from the salary or travelling or daily allowance bills of such member.

11. Non-admissibility of travelling allowance and daily allowance.—Notwithstanding anything contained in these rules a member shall not draw travelling allowance or daily allowance under these rules if, for the same journey or the same halt or attendance, he has drawn any such allowance from the Government in another capacity.

12. Preparation of Bills.—(1) (a) Bill shall be prepared in duplicate on printed forms to be obtained from the Secretary to the Assembly and shall be sent to him.

(b) The members who desire to draw payment through bank shall open bank account with bank transaction cash business of the Government of Rajasthan and intimate the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly his account number in the bank. The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, while drawing the bill, shall prepare a covering list indicating net amount payable along with the name of the member and their saving bank account number. The bill so prepared shall be endorsed in favour of bank after getting passed from the treasury and bank shall on the basis of covering list credit in the respective accounts with the net amount payable. No legal acquittance of member for the amount so credited in the bank shall be necessary on the office copy of the bill. But in case of cash payment, one copy of bill shall be stamped and receipted by the member.

(ग) जब किसी सदस्य के यात्रा तथा दैनिक भत्ते के बिलों में से खण्ड (क) में उल्लिखित किसी बकाया राशि की कटौती किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित प्राधिकारी राजस्थान विधान सभा के सचिव को उक्त बकाया राशि की सूचना देगा और वह सूचना प्राप्त होने पर सचिव, सम्बन्धित सदस्य के यात्रा तथा दैनिक भत्ते के बिलों में से बकाया राशियों की रकम काट लेगा।

(2) साधारणतया किसी सदस्य के प्रति बकाया निकल रही कोई गैर सरकारी राशि उसके वेतन तथा भत्तों में से वसूल नहीं की जायगी, किन्तु जब उक्त बकाया राशि उसके सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहने के दौरान उसके प्रति की गई कुछ सेवाओं के कारण ही जैसे जब वह विधान सभा की किसी समिति के साथ दौरे पर हो और उक्त सेवाओं के लिये व्यवस्था, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों की प्रार्थना पर प्राइवेट पार्टियों द्वारा या प्राइवेट पार्टियों के कहने पर की गई हों और जबकि वह सदस्य बार-बार प्रार्थना किये जाने पर भी उक्त बकाया राशियों का भुगतान करने में विफल रहा तो ऐसी बकाया राशियों की वसूली उक्त सदस्य के वेतन बिल अथवा यात्रा या दैनिक भत्ते के बिलों में से विधान सभा सचिवालय द्वारा की जा सकेगी।

11. यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते की अनुज्ञेयता :-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य इन नियमों के अधीन कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं उठायेगा यदि उसी यात्रा या उसी विराम या उपस्थिति के लिये, उसने सरकार से किसी अन्य क्षमता में ऐसा कोई भत्ता उठा लिया हो।

12. बिलों का तैयार किया जाना :-(1) (क) बिल, विधान सभा के सचिव से प्राप्त किये जाने वाले मुद्रित प्रारूपों पर दो प्रतियों में तैयार किया जायगा और उसे भेजा जायगा।

(ख) जो सदस्य बैंक के जरिये संदाय लेना चाहे वे राजस्थान सरकार या नकदी कारोबार सव्यवहृत करने वाले बैंक में बैंक खाता खोलेंगे और बैंक के अपने-अपने खाते की सूचना सचिव, राजस्थान विधान सभा को देंगे। सचिव, राजस्थान विधान सभा बिल तैयार करते समय एक प्रावरण सूची तैयार करेगा जिसमें सदस्य के नाम और बचत/बैंक खाता के साथ, संदेय शुद्ध रकम उपदर्शित की जायगी। इस प्रकार तैयार किया गया बिल खजाने से पारित कराये जाने के पश्चात् बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित किया जायगा और बैंक, बिलों या प्रावरण सूची पर, संदेय शुद्ध रकम का कोई भी विधिक निस्तारण, बिल की कार्यालय प्रति पर आवश्यक नहीं होगा। किन्तु नकद संदाय के मामले में बिल की एक प्रति सदस्य के द्वारा स्टाम्प लाया जायगा और रसीद दी जायगी।

(2) The hours of departure and arrival shall be noted in the columns for the purpose. Fractions of a mile in the total of the claims for the particular journey shall not be charged for.

(3) The usual place of residence of the member and the name of the treasury shall be entered in manuscript in the space at the end of the form.

13. Endorsement of certificates on bill.—(1) (a) Before a bill is submitted, the member concerned shall endorse thereon certificates in the following forms :—

(i) "Certified that I resided at..........for the day for which daily allowance has been claimed, for the purpose of attending the session of the Assembly/meeting of the............Committee appointed by the Assembly/under the orders of the Speaker, to...........business connected with my duties as member."

(ii) "Certified that I have not already drawn travelling allowance for the same journey or daily allowance for the same halt or for the same attendance made by me in any other capacity."

(iii) "I certify that I have actually travelled in the same class of accommodation by rail for which mileage allowance has been claimed."

(b) Where no part of journey is performed by a conveyance provided at the expense of the Government of India or the Government of Rajasthan or any other State Government or a Local Fund, the following certificate shall be furnished namely :—

"Certified that I have not performed any part of the journey by a conveyance provided at the expense of the Government of India or the Government of Rajasthan or any other State Government or a Local Fund."

(2) प्रस्थान एवं पहुंच का समय तदर्थ रखे गये स्कम्भों में अंकित किया जाना चाहिये। किसी विशेष यात्रा के लिये कुल दावों में एक मील की भिन्नों के लिये कोई राशि नहीं उठाई जायगी।

(3) सदस्य का सामान्य निवास स्थान और कोषागार का नाम प्रपत्र के अन्त में रखे गये खाली स्थान में हाथ से लिखे जाने चाहिये।

13. बिलों पर प्रमाण पत्रों का पृष्ठांकन :-(1) (क) बिल के प्रस्तुत किये जाने के पूर्व, सम्बन्धित सदस्य उस पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा :-

(1) ''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने विधान सभा के सत्र/विधान सभा द्वारा नियुक्त…………….समिति की बैठक में उपस्थित होने, अध्यक्ष के आदेशों से सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से सम्बन्धित…………….कार्य करने, के प्रयोजनार्थ जिस दिन के लिये दैनिक भत्ते का दावा किया है, उस दिन मैं………..में रहा था।''

(2) ''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने किसी अन्य क्षमता में मेरे द्वारा की गई उसी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता, अथवा उसी विराम के लिये या उसी उपस्थिति का दैनिक भत्ता पहले नहीं उठाया है।''

(3) ''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने रेल वास सुविधा की उसी श्रेणी से वास्तव में यात्रा की है जिसके लिये मील भत्ते का दावा किया गया है।''

(ख) जब यात्रा का कोई भाग भारत सरकार या राजस्थान सरकार या अन्य कोई राज्य सरकार या स्थानीय निधि के व्यय पर प्रावहित किसी वाहन द्वारा पूरा न किया गया हो तो निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायगा, अर्थात् :-

''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यात्रा का कोई भाग भारत सरकार या राजस्थान सरकार या अन्य कोई राज्य सरकार या किसी स्थानीय निधि के व्यय पर प्रवाहित किसी वाहन पर पूरा नहीं किया है।''

(c) Where a member is not provided with free board and lodging at the expense of the Government of India or Government of Rajasthan or a Local Fund, the following certificate shall be furnished namely :—

"Certified that I have not availed any facility of free board and lodging at the expense of the Government of India or Government of Rajasthan or a Local Fund for the days for which I have claimed daily allowance in the bills."

(2) A member claiming travelling allowance for a journey performed by him for attending the meeting of a Committee shall certify that he attended such meeting for at least one sitting.

(3) A member claiming daily allowance for any day for attending the meeting of a Committee shall also certify that he attended such meeting for at least half the period of its duration on that day.

(4) A member claiming daily allowance for more than three days on which meeting of the Assembly or meeting of a Committee thereof, as the case may be, was held but was not attended by him on account of illness, shall submit a medical certificate about his illness issued by an authorised Medical Attendent.

14. Controlling Officer.—(1) The Secretary of the Assembly shall be the Controlling Officer in respect of travelling allowance and daily allowance claims of members.

(2) In the absence of the Secretary or when he is occupied otherwise, the Deputy Secretary or the Assistant Secretary of the Assembly shall perform this duty.

15. Interpretation.—If any doubt or dispute arises with regard to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be decided by the Speaker in consultation with the State Government.

By Order of the Governor,

Lehar Singh Mehta

Secretary to the Government.

(ग) जब किसी सदस्य को भारत सरकार या राजस्थान सरकार या स्थानीय निधि के व्यय पर नि:शुल्क भोजन तथा रहने की सुविधा प्रावहित न की गई हो तो निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायगा, अर्थात् :-

''प्रमाणित किया जाता है कि मैंने भारत सरकार या राजस्थान सरकार या किसी स्थानीय निधि के व्यय पर नि:शुल्क भोजन तथा निवास की सुविधा का लाभ उन दिनों के लिये जिनके लिये मैंने इस बिल में दैनिक भत्ते का दावा किया है, नहीं उठाया है।''

(2) कोई सदस्य जो किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के हेतु उसके द्वारा की गई किसी यात्रा भत्ते का दावा करे, यह प्रमाणित करे, यह प्रमाणित करेगा कि वह ऐसी बैठक में कम से कम एक बैठक में के लिए उपस्थित रहा।

(3) कोई सदस्य, जो किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी दिन के दैनिक भत्ते का दावा करे यह भी प्रमाणित करेगा कि वह उस दिन ऐसी बैठक में उसकी कालावधि के कम से कम आधे समय के लिए उपस्थित रहा।

(4) तीन दिन से अधिक ऐसे दिन के लिए दैनिक भत्ते का दावा करने वाला सदस्य जिस दिन विधान सभा का अधिवेशन या, यथास्थिति उसकी किसी समिति का अधिवेशन हुआ था किन्तु बीमारी के कारण वह हाजिर नहीं हो सका था, प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा जारी किया गया अपनी बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

14. नियंत्रक अधिकारी :- (1) विधान सभा का सचिव सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के दावों के विषय में नियंत्रक अधिकारी होगा।

(2) सचिव की अनुपस्थिति में अथवा जबकि वह अन्यथा कार्य में व्यस्त हो विधान सभा का उप सचिव या सहायक सचिव यह कर्तव्य करेगा।

15. निर्वचन :-यदि इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो उनका निर्णय राज्य सरकार के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से

लहर सिंह मेहता

शासन सचिव।

SCHEDULE

A-Rate of Admissibility of Mileage Allowance for Travel by Rail

Acutal Rail fare of class of Accommodation	Incidental Charges	Remarks
1	2	3
*Any train any class including reservation charges paid to Railway, if any.	[#]6 paisa per K.M. limited to one halting allowance for every period of 24 hours or a fraction of 24 hours spent on actual travel by Rail* but in Rajdhani Express or such similar train, 6 paisa per K.M. limited to half halting allowance for every period of 24 hours or fraction of 24 hours spent on actual travel by Rail.	
Note :— 1.	The rate of halting allowance for the purpose of incidental charges shall be the rate of halting allowance as admissible under the Rajasthan Legislative Assembly (Officers & Members Emoluments & Pension) Act, 1956.	

*F7(17)Sansad/98/Dt. June 18, 2008 w.e.f. April 01, 2008
[#]F7(1)Sansad/2012 dated 14 June, 2012 w.e.f. 1st day of April, 2012

अनुसूची

क-रेलगाड़ी द्वारा यात्रा के लिये मील भत्ते की अनुज्ञेयता की दर

स्थान-सुविधा की श्रेणी का वास्तविक रेल किराया	आनुषंगिक प्रभार	टिप्पणी
1	2	3
*रेल विभाग को सदत्त आरक्षण प्रभार, यदि कोई हो, को सत्यापित करते हुये किसी भी रेलगाड़ी में कोई भी वर्ग	#6 पैसा प्रति कि.मी. जो रेलगाड़ी से की गई वास्तविक यात्रा में व्यतीत 24 घंटे की प्रत्येक कालावधि या 24 घंटे के किसी भाग के लिये एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे। #किन्तु राजधानी एक्सप्रेस या ऐसी ही अन्य रेलगाड़ी में 6 पैसा प्रति कि.मी. जो रेलगाड़ी से की गयी वास्तविक यात्रा में व्यतीत 24 घंटे की प्रत्येक कालावधि या 24 घंटे के किसी भाग के लिये आधे विराम भत्ते तक सीमित होंगे।	
टिप्पणी : 1	आनुषंगिक प्रभारों के प्रयोजन के लिये विराम भत्ते की दर राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन यथा अनुज्ञेय विराम भत्ते की दर होगी।	

*प.7(17)संसद/98 दिनांक 18 जून, 2008 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी

#प.7(1)संसद/2012 दिनांक 14 जून, 2012,दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी

1	2	3
	2. When a journey on tour is performed by bus etc. in continuation (or *vice versa*) the rail, air or bus journey will be treated as one journey for the purpose of calculation of incidental charges limited to one halting allowance for every period of 24 hours or fraction thereof.	
	3. If a member undertakes journey by rail or bus, and returns back to the place from where the journey had started on the same day, the incidental charges for forward and return jounrey shall be limited to one halting allowance as admissible under the Rajasthan Legislative Assembly (Officers & Members Emoluments & Pension) Act, 1956.	

1	2	3
	2. जब दौरे पर कोई यात्रा पहले रेलगाड़ी तथा बाद में उसी के क्रम में बस आदि से या पहले बस आदि से और बाद में उसी के क्रम में रेलगाड़ी से की जाये तो रेल, हवाई जहाज या बस से की गयी यात्रा आनुषंगिक प्रभारों की संगणना करने के प्रयोजन के लिये एक यात्रा मानी जायगी और ये प्रभार प्रत्येक 24 घंटे की कालावधि या उसके किसी भाग के लिये एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे। 3. यदि कोई सदस्य रेल या बस से यात्रा करे और उसी दिन उसी स्थान पर वापस आ जाये जहां से यात्रा आरम्भ की थी तो वहां तक जाने और वहां से वापस आने की यात्रा के लिए आनुषंगिक प्रभार राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन यथा अनुज्ञेय एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे।	

B. Mileage Allowance for Travel by Road

Speical Rates			Ordinary Rates	
1			2	
(i)	Journey in a motor car owned by the member	**7.00 per k.m.	(a)	Actual Air-Conditioned/Deluxe including semi-Deluxe/Upper Class Bus fare plus passenger tax plus local charge, if any, plus incidental charges at the rates of ***6 paisa per k.m. as admissible for rail journey.
(ii)	Journey by a Scooter/ Motor Cycle/Moped, etc. owned by the member	1.00 per k.m		
(iii)	Journey by any other means of conveyance like Rickshaw, Tonga, Motor-Rickshaw, etc.	1.80 per k.m.		**Note—1.** When a journey on tour is performed by rail and then by bus, etc. in continuation (or *vice versa*), the rail, air or bus journey will be treated as one journey for the purpose of calculation of incidental charges limited to one halting allowance as admissible under the Act for every period of 24 hours or fraction thereof.
(iv)	Journey on Cycle or on foot.	0.25 per k.m.		

**F7(18)Sansad/1998/dated April, 2010 w.e.f. of April 1, 2010
***F7(1) Sansad/2012 dated 14 June, 2012 w.e.f. April, 2012

1		2
(i) सदस्य द्वारा अपनी मोटर कार से यात्रा कि.मी.	**7.00 प्रति कि.मी.	(क) सेमी डीलक्स/अपर क्लास बस सम्मिलित करते हुए वातानुकूलित/ डीलक्स बस के वास्तविक किराये के साथ यात्री कर स्थानीय प्रभारी, यदि कोई हो, तथा रेल यात्रा के लिये यथा-अनुज्ञेय ***6 पैसा प्रति, की दर से आनुषंगिक प्रभार।
(ii) सदस्य द्वारा अपने स्कूटर/मोटर-साइकिल/मोपेड आदि से यात्रा	1.00 प्रति कि.मी.	टिप्पणी:-1 जब दौरे पर कोई यात्रा पहले रेलगाड़ी से तथा बाद में उसी के क्रम में बस आदि से या पहले बस आदि से और बाद में उसी के क्रम में रेलगाड़ी से की जाये तो रेलगाड़ी, हवाई जहाज या बस आदि से की गयी यात्रा आनुषंगिक प्रभारों की संगणना करने के प्रयोजन के लिये एक यात्रा मानी जायगी और ये प्रभार, प्रत्येक 24 घंटे की कालावधि या उसके किसी भाग के लिये अधिनियम के अधीन यथानुज्ञेय एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे।
(iii) रिक्शा, तांगा, मोटर रिक्शा आदि जैसे किसी भी अन्य सवारी के साधन से यात्रा	1.80 प्रति कि.मी.	
(iv) साइकिल पर या पैदल यात्रा	0.25 प्रति कि.मी.	

**प.7(18)संसद/1998 दिनांक 30 अप्रैल, 2010 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 द्वारा प्रवृत्त

***प.7(1)संसद/2012 दिनांक 14 जून, 2012 दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी

1	2
	2. If the Member undertakes journey by rail or bus and return to the place from where the journey had started on the same day, the incidental charges for forward and return journey shall be limited to one Halting Allowance as admissible under the Act.
Note-(1) A Member shall not undertake journey by a Scooter/Motor Cycle, Moped, etc. owned by him for a distance exceeding 15 k.ms. from his headquarters to places connected by rail or regular bus service. Road journey by a Scooter/Motor Cycle/Moped, etc. ownedby a Member may however be made for a distance not exceeding 100 kms. from his headquarters between places neither connected by rail nor by regular bus service.	(b) Mileage allowance for journey to reach Railway Station/Bus Stand from duty point and *vice versa.*

	Place	Rate
(i)	Jaipur/Jodhpur/Kota/ Bikaner/Udaipur/Ajmer	Rs. 25.00 Fixed charges
(ii)	All State capitals in India (except Jaipur) including Delhi	Actual charges paid in payment of far for taxi/rail/tram/bus, etc.
(iii)	At other places	Rs. 1.80 per k.m.

1	2
	2. यदि कोई सदस्य रेल या बस से यात्रा करे और उसी दिन उसी स्थान पर वापस आ जाये जहां से आरम्भ की थी तो वहां तक जाने और वापस आने की यात्रा के लिये आनुषंगिक प्रभार अधिनियम के अधीन यथा-अनुज्ञेय एक विराम भत्ते तक सीमित होंगे।
टिप्पणी:-(1) सदस्य अपने मुख्यालय से रेलगाड़ी या नियमित बस सेवा से जुड़े हुए 15 कि.मी. से अधिक की दूरी के स्थानों की अपने स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड आदि से यात्रा नहीं करेगा। तथापि, सदस्य द्वारा अपने स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड आदि से अपने मुख्यालय से 100 कि.मी. से अनाधिक दूरी के बीच के उन स्थानों की सड़क यात्रा की जा सकेगी जो न तो रेलगाड़ी से ही और न से जुड़े हैं।नियमित बस सेवा	(ख) ड्यूटी स्थान से रेल स्टेशन/बस स्टेण्ड तक पहुंचने की और वहां से वापस आने की यात्रा के लिये मील भत्ता :-

	स्थान	दर
(1)	जयपुर/जोधपुर/कोटा बीकानेर/उदयपुर/अजमेर	25.00 रुपये नीयत प्रभार
(2)	दिल्ली सहित भारत के सभी राज्योंकीराजधानियां (जयपुर के सिवाय)	टैक्सी/रेलगाड़ी/ट्राम/बस आदि के किराये के भुगतान वास्तविक प्रभार
(3)	अन्य स्थान	1.80 रुपये प्रति कि.मी.

1	2
(2) In a case where husband and wife both are Members and the Motor car is owned by either of them, the journey undertaken by either in the said Motor car owned by his/her spouse would be treated to have been performed in his/her own car for the purpose of these rules.	**Note :** A Member who uses departmental vehicles (including Staff Car) for road journey from residence to Railway Station or Bus Stand and *vice versa* in connection with undertaking of a journey by rail or road shall not be entitled to road mileage allowance from duty point to Railway Station or Bus Stand and *vice versa*. (c) Where a Member alights from a train/bus in order to catch a connecting train/bus from another Railway Station/Bus stand, as the case may be, at a particular place en-route his destination, he shall be entitled to road mileage allowance at the rates indicated in Para (b) above.

[No. F 3(3) L/64]

By Order of the Governor,

LEHAR SINGH MEHTA,

Secretary to the Government

1	2
(2) उस दशा में जहां पति और पत्नी दोनों ही सदस्य हों और उनमें से किसी भी एक की अपनी कार हो तो अपने पति/पत्नी को उक्त कार में किसी एक द्वारा की गयी यात्रा इन नियमों के प्रयोजनों के लिये उसकी स्वयं की कार से की गयी समझी जायगी।	**टिप्पणी :-** वह सदस्य जो रेल या सड़क से यात्रा करने के सम्बन्ध में निवास स्थान से रेल स्टेशन या बस स्टेण्ड तक की और वहां से वापस आने की सड़क यात्रा के लिये (स्टाफ कार को सम्मिलित करते हुए) विभागीय यान का उपयोग करता है, ड्यूटी स्थान से रेल स्टेशन या बस स्टेण्ड तक की और वहां से वापस आने की यात्रा के लिये सड़क मील भत्ते के हकदार नहीं होगा। (ग) जहां कोई सदस्य अपने गन्तव्य स्थान के मार्ग में आने वाले स्थान विशेष पर किसी रेलगाड़ी/बस से इस उद्देश्य से उतरे ताकि किसी अन्य रेल स्टेशन या यथास्थिति बस स्टेण्ड से मिलने वाली किसी रेलगाड़ी/बस को पकड़ सके वहां वह ऊपर पैरा (ख) में उपदर्शित दरों पर सड़क मील भत्ता पाने का हकदार होगा।

[संख्या. एफ. 3(3) एल/64]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

लहर सिंह मेहता

शासन सचिव